



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166001

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या 21082/2026

श्रीमती रेशमा कुमारी मौर्य और अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अवध नारायण तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आज न्यायालय में प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण पति और पत्नी के रूप में अपने शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने हेतु प्रत्यर्थियों को परमादेश की रिट जारी किए जाने तथा संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्तागण को सुरक्षा प्रदान करने हेतु आगे निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्तागण बालिग हैं और यह प्रदर्शित करने के लिए कि याचिकाकर्तागण बालिग हैं, उन्होंने अपनी हाई स्कूल अंकतालिकाओं की प्रतियां दाखिल की हैं। उन्होंने बिना किसी दबाव के तथा अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से विवाह संपन्न किया है और विवाहित दंपति के रूप में एक साथ रह रहे हैं। आगे यह कहा गया है कि निजी प्रत्यर्थी और परिवार के अन्य सदस्य नाराज हो गए हैं तथा उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि उन्हें धमकाया और परेशान किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्तागण ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। याचिका में किए गए अभिकथनों का समर्थन याचिकाकर्तागण के संयुक्त शपथपत्रों द्वारा किया गया है।

5. याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका में अभिकथित किया है कि वे पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रत्यर्थी अपने परिवार के सम्मान के लिए उनकी हत्या कर सकता/सकती है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

6. यद्यपि निजी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया गया है और साथ ही इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया गया है, किंतु प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रखते हुए, केवल निजी विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

7. तदनुसार, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, न्यायालय के नियमों के अनुसार, इस रिट याचिका का इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

8. उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह विधि स्थापित की है कि जहां कोई लड़का और लड़की बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रहे हैं, तब उनके माता-पिता सहित कोई भी व्यक्ति उनके एक साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; तथा भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 के मामलों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है, जिनका उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा लगातार अनुसरण किया गया है, साथ ही इस न्यायालय द्वारा दीपिका और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 में दिए गए निर्णय का भी। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान देवी (पूर्वोक्त) में निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:

"7. ... याचिकाकर्ता की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि वर्तमान में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। चूंकि याचिकाकर्ता स्वयं विधि के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए उस व्यक्ति के चयन पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता जिसके साथ वह रहने वाली है, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चाहिए। न्यायालय या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या पसंद के स्थान पर अपनी राय या पसंद प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।"

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि याचिकाकर्तागण एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ पुलिस आयुक्त, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2, के समक्ष उपस्थित होंगे, जो याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

10. निजी प्रत्यर्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि अभिलेख पर लाई गई दस्तावेज गढ़े हुए अथवा कूटरचित हैं, तो उसके लिए इस आदेश को वापस लिए जाने हेतु पुनः आदेश प्राप्त करने का आवेदन दाखिल करना खुला होगा।

11. चूंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जो (2006) 2 एससीसी 578 और (2008) 1 एससीसी 180 में प्रकाशित हैं, सीमा (श्रीमती) बनाम अश्वनी कुमार, के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, याचिकाकर्तागण दो माह की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं और यदि याचिकाकर्तागण उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा सके, तो इस आदेश के अंतर्गत प्रदान की गई सुरक्षा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्तागण के कथित विवाह पर कोई न्यायनिर्णयन नहीं किया है और यह आदेश किसी भी प्रकार से उनके विवाह की वैधता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है।

13. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

7 अगस्त, 2026

एस. अली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”